

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कृषिधारी, सतीलदार, रावतभाटा

बनाम

राधेश्याम अठवाल

किस्म मुकदमा

प्राथमिक पत्र

नं०

०९

सन २०२३

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
०१/०८/२०२४	<p>पत्रावली पेश हुई... अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक २१/०८/२४ को पेश की जावे।</p> <p><i>Bijay Singh</i></p>	
२२/०८/२०२४	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. ०२ न्यायालय में उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. ०२ ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत करने का उत्तर चाहा जो दिया जाता है। प्रार्थी सं. ०१ को नोटिस प्रीसेस भरकर पेश हो तो जारी हो। पत्रावली वास्तव में जवाब अप्रार्थी सं. ०२ व नोटिस प्रीसेस अप्रार्थी सं. ०१ दिनांक १७/०९/२०२४ को पेश हो।</p> <p><i>S.D.O</i></p>	
१७/०९/२०२४	<p>पत्रावली पेश हुई... DM Sir द्वारा अहकाम घोषित किया जाने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक १०/१०/२४ को पेश की जावे।</p> <p><i>Bijay Singh</i></p>	
१०/१०/२०२४	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन घण्टे अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में उकरवा में प्रार्थी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर अदम घण्टी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p><i>S.D.O</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तोड़गढ़)</p>	

